जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 107वीं बैठक दिनांक 20.9.2006 में लिये गये निर्णयो का विवरण ।

क्र.सं.	र.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1	107.1	कार्यकारी समिति की 106 वीं बैठक दिनांक 2.8.2006 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट ।	सर्व सम्मति से पुष्टि की गई।		
2	107.2	श्री विनीत अग्रवाल, सेक्टर अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि बाबत।	श्री अग्रवाल की प्रतिनियुक्तिअवधि दिनांक 22.4.07 तक की अभिवृद्धि की जाने की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई। इस अवधि का नियमानुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नही होगा।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
3	107.3	साइट अभियन्ताओं को प्राधिकरण में 5 वर्ष तक प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने की स्वीकृति के संबंध में।	साईट अभियन्ताओं की प्रतिनियुक्ति अवधि 4 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस अवधि का नियमानुसार प्रतिनुयक्ति भत्ता देय नही होगा।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
4	107.4	श्री सन्त प्रकाश सांखला, कनिष्ठ लेखाकार (प्रतिनियुक्ति पर) की 4 वर्ष पश्चात 1 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि बढाये जाने बाबत।	श्री सांखला की प्रतिनियुक्ति अवधि दि. 2.7.07 तक की अभिवृद्धि किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इस अवधि का नियमानुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नही होगा।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
5	107.5	बेलदारों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / हेल्पर के पद पर परिवर्तन किये जाने बाबत।	प्रकरण समिति के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत हुआ। प्रस्ताव में रिक्त पदो पर विकल्प पत्र प्राप्त किये जावें, किन्तु रिक्त पद वर्तमान में कार्यरत 60नियमित बेलदारो से कम हैं। अतः पूर्व कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26.10.98 में पारित प्रस्ताव संख्या 71.3 एवं उसके अनुसारण में जारी आदेश क्रमांक एफ26 (34)(2) जविप्रा / अभि. / 88 दिनांक 27.11.98 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार कार्यवाही करते हुये 60 नियमित बेलदार से विकल्प लिया जाकर नियमितिकरण करते हुये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / हैल्पर के पद सृजित किये जावें एवं उतने ही पद बैलदार के समाप्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पद परिवर्तन के फलस्वरूप च.श्रे. / हैल्पर बनने वाले कर्मचारीयो की वरिष्ठता पूर्व में जारी वरिष्ठता सूचि में अंकित कर्मचारीयो से कनिष्ठ रहेगी।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
6	107.6	श्रीमती सीमा चौधरी भूखण्ड संख्या 47 वृंदावन विहार का कुल क्षेत्रफल 721.11 वर्ग गज भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक (रिटेल कामर्शियल एवं जनरल बिजनेस) में किये जाने हेतु।	भूखण्ड संख्या 47 वृंदावन विहार का कुल क्षेत्रफल 721.11 वर्ग गज भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक (रिटेल कामर्शियल एवं जनरल बिजनेस) किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी गई :– सेटबेक नियमानुसार रखना होगा। अधिकतम उंचाई 12 मीटर रखनी होगी। यदि भवन में रिटलद प्रस्तावित व अनुज्ञेय होगा, तो अधिकतम उंचाई 15 मीटर ही देय होगी।	निदेशक (आयोजना)	
7	107.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम के खसरा नं. 553 की कुल 8743.80 वर्गमीटर भूमि से प्रस्तावित 100 फीट की सड़क के मार्गाधिकार में आने वाली 725.10 व.मी. भूमि निःशुल्क जविप्रा को करने की शर्त पर शेष भूमि 8018.70 व.मी. भूमि का ग्रामीण से औद्योगिक (दूध एवं घी पैकिंग प्लाट) प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में।	सर्व सम्मति से इस भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से औद्योगिक (दूध एवं घी पैकिंग प्लाट) प्रयोजनार्थ किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (आयोजना)	

				संबंधित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
	107.8	जविप्रा स्थित राजस्व ग्राम जेतपुरा तह. चौमू के ख.नं. 447/1, 450/1,470/2249/2 कुल किता 3 रकबा 0.82 हेक्टेयर (8200 व.मी.) भूमि से 60 फीट सडक में आने वाली 360 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष बची 7840 व.मी. भूमि का चौमू का मास्टर विकास योजना 2011 में दर्शित भू-उपयोग [illegible] बैल्ट से संस्थानिक किये जाने के संबंध में।	सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया, कि 60 फीट चौडी सडक में आने वाली 360 व.मी. भूमि जेडीए को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष बची 7840 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने हेतु प्रकरण को राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (आयोजना)	
	[illegible]	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम झालाणा के ख.नं. [illegible]/1283 रकबा [illegible] विस्वा अर्थात 3150.[illegible] व.मी. का [illegible] [illegible] रिहायशी [illegible] ग्राउन्ड से वाणिज्यक (पैट्रोल पम्प) किये जाने के संबंध में।	प्रकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (आयोजना)	
10	107.10	श्री हरिनारायण शर्मा व उमेश कुमार शर्मा ने महाराजा गोपालपुरा गृ.नि.स.समिति की योजना स्कीम नं. 8 के आवासीय भूखण्ड संख्या 95 क्षेत्रफल 483.50 व.ग. का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने बाबत।	आवेदित भूमि का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तो पर दी गई:- सेटबेक नियमानुसार रखना होगा। अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर रखनी होगी।	निदेशक (आयोजना)	
11	107.11	25 कनिष्ठ अभियंता (साईट अभियंता) की सीधी भर्ती किये जाने बाबत।	सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु लिखा जावे।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
12	107.12	प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त अधिकरियों /कर्मचारियों को मंहगाई भत्तो के भुगतान के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण मे कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	

अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से। Supelementry Ajenda

13	107.13	जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम 1984 के संलग्न अनुसूची -III अभियान्त्रिकी प्रथम श्रेणी सेवा मे उच्च पद "अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता" प्रतिस्थापन करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। प्रकरण को नियमो मे संशोधन हेतु प्राधिकरण (Authority) के समक्ष पेश किया जावें।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
14	107.14	ग्राम बीड हाथोज तहसील जयपुर के खसरा नं. 44/3 रकबा 10 बीघा भूमि का ग्रुप हाउसिंग के लिये एकल पट्टा देने व सेक्टर रोड पर व्यवसायिक भू-पट्टी एवं प्लान्टेशन कोरिडोर के संबंध में।	प्रकरण में विचार विमर्श किया गया कि 80 फीट व उससे अधिक चौडी सडक पर सडक से आधी गहराई की भूमि मे वाणज्यिक भू-पट्टी छोडे जाने हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.7.03 के अनुसार कार्यवाही की जावे। यह प्रकरण पूर्व में प्राधिकरण की बैठक मे निर्णित है अतः यदि इसमें कोई संशोधन प्रस्तावित है तो प्राधिकरण की आगामी बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। तथा ग्रुप हाउसिंग एवं एकल पट्टे के संबंध में छूट दिये जाने हेतु राज्य सरकार को मि[illegible] जावे। इसी प्रकार प्लानटेशन कोरिडोर को सैटबेक में माने जाने बाबत कार्यकारी समिति की 85 वी बैठक दिनांक 24.12.02 के द्वारा पारित निर्णय एक प्रकरण विशेष के संबंध में था। यह नीतिगत निर्णय नहीं है। इस हेतु बनाई गई समिति ने जो सुझाव पेश किये है उन्हे राज्य सरकार को ग्रुप हाउसिंग एवं एकल पट्टे बाबत निर्णय किये जाने हेतु राज्य सरकार को मिजवाया जावे।	निदेशक (आयोजना)	

	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
		3. गैर अनुमोदित आवासीय योजनाओं के भूखण्डधारियों को स्वामित्व के सबूत के आधार पर भूखण्डों का आवंटन नियमानुसार जोन की आरक्षित दर पर किया जावें। 4. रेल्वे की भूमि पर स्थित दुकानो / मकानो / कब्जेशुदा भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी सबूत के आधार पर भूखण्डों का आवंटन आरक्षित दर पर किया जावें। 5. अनुमोदित / गैर अनुमोदित / रेल्वे की भूमि पर बने स्ट्रक्चर्स का मुआवजा जोनल अभियंता-9 के द्वारा प्रस्तुत तकमीन के आधार पर किया जावें। 6. अनुमोदित / गैर अनुमोदित तथा रेल्वे की भूमि पर निर्मित दुकान व मकान के वर्तमान उपयोग के आधार पर जितना क्षेत्रफल सडक सीमा में आ रहा है उसके बराबर वाणिज्यिक / आवासीय भूखण्डों का आवंटन / रंनिग लेन्थ में किया जावें। 7. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के अनुसार खातेदारी की सडक सीमा में आ रही भूमि के बदले 5 प्रतिशत व्यवसायिक व 20 प्रतिशत आवासीय भूखण्ड दिये जावें। खातेदार के अलावा अन्य दावेदारी करे तथा खातेदार दावेदारी नही करें तो ऐसी योजना को गैर अनुमोदित माना जाकर आवासीय आरक्षित दर पर समान भूमि दी जावें। 8. दुकानों व मकानों के भूखण्डों का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निर्धारित प्रपत्र में समर्पण करने पर किया जावें। 9. अनुमोदित / गैर अनुमोदित तथा रेल्वे की भूमि पर सडक सीमा में आ रही दुकानों / मकानों व कब्जाशुदा भूखण्डों की विडियों ग्राफी जोनल अभियन्ता द्वारा तत्काल की जावेगी। विडियों ग्राफी की एक सीडी जोन उपायुक्त को उपलब्ध कराई जावें। 10. भूमि समर्पण करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आवंटन पत्र के प्रारूप का अनुमोदन निदेशक (विधि) से कराया जावें। वाणिज्यिक हेतु, रामनगरिया योजना में, ज्ञान विहार कालोनी के सामने व पिंकसिटी एनक्लेव योजना के पास उपलब्ध जविप्रा के स्वामित्व की भूमि में तथा आवासीय हेतु महल विस्तार योजना में पुर्नवासित किये जाने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति ली जाकर प्रकरण प्राधिकरण (Authority) के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जावें।		
107.23	जविप्रा की अनुमोदित कल्याण कालोनी के भूखण्ड संख्या-23 क्षेत्रफल 311.11 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक किए जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण मे वर्णित कल्याण कालोनी के भूखण्ड संख्या-23 क्षेत्रफल 311.11 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक किए जाने की स्वीकृति दी गई ।	निदेशक (आयोजना)	
107.24	शैक्षणिक संस्थान श्री बीरबल मेडीकल एण्ड एज्यूकेशन सोसायटी हेतु तहसील सांगानेर के ग्राम बीलवा की भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में वर्णित शैक्षणिक संस्थान श्री बीरबल मेडीकल एण्ड एज्यूकेशन सोसायटी हेतु तहसील सांगानेर के ग्राम बीलवा की भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने की स्वीकृति दी गई एवं प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)	
107.25	महाराजा गोपालपुरा गृ.नि.स.समिति की योजना स्कीम नं. 8 के आवासीय भूखण्ड संख्या 21 क्षेत्रफल 485 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् महाराजा गोपालपुरा गृ.नि.स.समिति की योजना स्कीम नं. 8 के आवासीय भूखण्ड संख्या 21 क्षेत्रफल 485 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने की स्वीकृति दी गई, लेकिन प्रार्थी 30फीट रोड से किसी भी प्रकार की गतिविधिया नही करेगें एवं 30 फीट सडक पर आवागमन हेतु कोई गेट नही निकालेगें।	निदेशक (आयोजना)	

	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	अधिकारी	रिपोर्ट
	अपोलो नगर गृ. नि. स. समिति की योजना नीलकंठ कॉलोनी के पुर्न गठित भू. सं. 51/105, 52 एवं 53 क्षेत्रफल 1255.99 वर्ग गज के भू-उपयोग रूपान्तरण व्यावसायिक किये जाने के संबंध में ।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण मे वर्णित भूमि 1255.99 वर्ग गज के भू-उपयोग उपान्तरण व्यावसायिक किये जाने की स्वीकृति दी गई एवं प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)	
107.27	Approvel of offer for work of beautiful and development of Tonk Road from Ajmeri Gate to Saganer flyover, Jaipur on BOT BASIS.	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में टोंक रोड अजमेरी गेट से सागानेर फ्लाई ओवर तक बी.ओ.टी. बेसिस पर कार्य करवाने हेतु मैसर्स एन.एस.पी.ए. की प्राप्त अधिकतम बिड रू. 55 लाख वार्षिक पर करवाये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।	जोनल अभियन्ता -10	
107.28	Approvel of offer M/S Shakun Advertisement Pvt. Ltd., Jaipur for Night Beautification on B.O.T. basis.	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (प्रोजेक्ट)	
107.29	भूखण्ड संख्या 12 व 12 ए जय जवान गृ नि.स.समिति की योजना नं. 2 का भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक उपान्तरण की स्वीकृति हेतु।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में 167.11 व.ग. भूमि जविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित कराने के पश्चात मात्र 524.39 व.ग. भूमि का ही भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक उपान्तरण किया जाना है। परन्तु पूर्व में ई.सी. की 104वी बैठक दिनांक 13.5.06 के निर्णय में यह प्रकरण राज्य सरकार की प्रत्यासा बाबत लिखा गया है, जो उचित नही है क्योकि राज्य सरकार द्वारा 1000 व.ग. तक के भूखण्डो का भू-उपयोग उपान्तरण के मामलो का अधिकार इस समिति को दे रखा है अतः प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार भूखण्ड संख्या 12 व 12 ए जय जवान गृ नि.स.समिति की योजना नं. 2 के क्षेत्रफल 524.39 व.ग. का भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक उपान्तरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)	
107.30	जविप्रा द्वारा अनुमोदित नवजीवन गृ.नि.स.स. की योजना मुक्तानन्द नगर के भू.सं. 264 क्षेत्रफल 230 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में ।	विचार विमर्श पश्चात प्रकरण में वर्णित नवजीवन गृ.नि.स.स. की योजना मुक्तानन्द नगर के भू.सं. 264 क्षेत्रफल 230 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण वाणिज्यिक किये जाने की स्वीकृति दी गई ।	निदेशक (आयोजना)	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

...ता, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रहा :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	
1	श्री शिव कुमार शर्मा	शासन उप सचिव	नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार	सदस्य के प्रतिनिधि
2	श्री पी. एल. गुप्ता	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्रीमती कौमुदी गुप्ता	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री एस. सी. सोनी	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री पी. अरविन्द	निदेशक (आयोजना) एच.टी. पी. एम. पी.	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री आर. पी. कोडिया	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री टी. एस. अरोरा	उपनगर नियोजक	रीको	सदस्य के प्रतिनिधि
8	श्री सुनील शर्मा	आयुक्त	जयपुर नगर-निगम, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री जी. एन. शर्मा	अधिक्षण अभियन्ता, शहर	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
10	श्री सी.एम. अग्रवाल	अधि. अभियन्ता (सी.डी. 4)	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	सदस्य के प्रतिनिधि
11	श्री के. एल. रैरवा	सहायक अभियन्ता	आर. टी. डी. सी.	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
12	श्री रामनिवास मीणा	अति.आयुक्त (पश्चिम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्री मातादीन शर्मा	अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री [illegible]	अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	सुश्री रेखा गुप्ता	अति.आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री सी.एम. अग्रवाल	ओ.एस.डी.(आर.एम.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री ए. के. जैन	ए. सी. ई. 2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री एन. सी. माथुर	ए. सी. ई. 1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री एस. ई. बंसल	एस. ई. (बी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री इकबाल खान	उपायुक्त जोन-5	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	श्री बी.एस. शर्मा	उपायुक्त जोन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22	श्री इन्दर सिंह सोलंकी	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23	श्री प्रभात गोस्वामी	पी.आर.ओ.	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24	श्री एन. के. सिघंल	जेड.ई. (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25	श्री सुशील चौधरी	कन्सल्टेन्ट	जेडीए शुटिंग रनेज, जयपुर	

सचिव,
जविप्रा, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2006/(5)-8338 दिनांक: 2/9/06

368

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1.	निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2.	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3.	ज़िला प्रमुख	ज़िला परिषद, जयपुर।
4.	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5.	शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6.	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8.	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9.	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10.	जिला कलक्टर	जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर।
11.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12.	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13.	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14.	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15.	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग,जयपुर।
16.	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17.	मुख्य अभियंता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18.	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19.	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20.	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21.	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22.	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23.	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम /प्रशासन	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24.	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25.	उपायुक्त जोन............	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25.	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण;*जयपुर।

सचिव,
जविप्रा, जयपुर